रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 1973/फाल्गुन 15, 1894
No. 82] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 1973 PHALGUNA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March 1973

S.O. 129(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

DECLARATION

Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Orissa.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the Pepple Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Debananda (Name)

Village—Balani, P.O. Lathikata, District Sundargarh, Orissa (Address)

has been duly elected to fill the vacancy caused in that House by the resignation of Srimati Nandini Satpathy.

Place: BHUBANESWAR.
Dated 1st March, 1973.

(Sd.) N. RATH
Returning Officer."

[No. F.13(2)/73-Leg.II.]
S. HARIHARA IYER, Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1973

का० आ० 129 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा में होने वाली रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

घोषणा

1. उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि श्रीमती नंदिनी सतपथी के त्याग पत्र से उस सदन में हुई रिक्ति को भरने के लिए—

(नाम) देवानन्दा

(पता) गांव-बालानी, जिला—सुन्दरगढ़, डाकखाना—लतिकाना, उड़ीसा ।

सम्यक् रूप से निर्वाचित होगए हैं ।

स्थान : भुवनेश्वर।

तारीख : 1 मार्च, 1973

(ह०) एस० रथ,

रिटर्निंग आफिसर ।

[सं० फा० 13(2)/73—विधा० II]

एस० हरिहर अय्यैर,

संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI, 1973